भवानीपुर बैंकिंग कॉर्पोरेशन, लिमिटेड

बनाम

गौरी शंकर शर्मा

[श्री हरिलाल कानिया मुख्य न्यायमूर्ति, सैय्यद फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और एसआर दास न्यायमूर्ति]

परिसीमा अधिनियम (IX वर्ष 1908), अनुच्छेद 152, खंड 2 और 3-डिक्री का निष्पादन-सीमा-प्रारंभिक बिंदु- "जहां समीक्षा हुई है", का अर्थ-धारा 36 के तहत डिक्री को फिर से खोलने के लिए आवेदन, बंगाल मनी- ऋणदाता अधिनियम डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया और बर्खास्तगी के आदेश से अपील की गई - क्या डिक्री के निष्पादन के लिए सीमा के लिए नई शुरुआत दी गई - अनुच्छेद 182, खंड 2 और 3 की व्याख्या।

21 अगस्त, 1940 को एक बंधक पर प्रारंभिक डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित की गई थी। निर्णय देनदार ने डिक्री को फिर से खोलने के लिए बंगाल धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत एक आवेदन किया और 20 दिसंबर 1941 को उपस्थित न होने के कारण आवेदन खारिज कर दिया गया और इस आवेदन की बहाली के लिए आदेश IX, नियम 9 ओपीओ के तहत एक आवेदन भी 1 जून 1942 को खारिज कर दिया गया था। इसी बीच 22 दिसंबर 1941 को एक अंतिम डिक्री पारित की गई। निर्णय-देनदार ने आदेश IX नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उसके आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की और यह अपील 3 जुलाई 1944 को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दी गई। 9 अप्रैल 1945 को, डिक्री-धारक ने डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया:

यह मानते हुए भी कि "समीक्षा" शब्द का प्रयोग भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 182 में व्यापक अर्थ में किया गया है और कि, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट की धारा 36 के तहत आवेदन समीक्षा के लिए एक आवेदन था, अनुच्छेद 182 का खंड 3 इस मामले पर लागू नहीं था क्योंकि धारा 36 के तहत आवेदन डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। अदालत के पास इस सवाल पर अपना दिमाग लगाने का कोई अवसर नहीं था कि क्या डिक्री को फिर से खोला जा सकता है या नहीं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त खंड के अर्थ में डिक्री की "समीक्षा की गई है"।

यह भी माना गया कि अनुच्छेद 182 के खंड 2 में "जहां अपील की गई है" शब्दों को अनुच्छेद के 1 कॉलम में "डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए" शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और तथ्य यह है कि धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही के संबंध में किए गए आदेश IX, नियम 9 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, इसलिए अनुच्छेद 183 खंड 2 के तहत सीमा के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु नहीं दिया जा सकता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय से अपील: सिविल अपील संख्या एलआई वर्ष 1949

अपीलकर्ता की ओर से मनोहर लाल, (एचके मित्तर उनके साथ)।

प्रतिवादी की ओर से बी.सी. मित्तर।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

14 मार्च 1950 को न्यायमूर्ति फ़ैज़ अली द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

इस अपील में निर्णय लेने वाला एकमात्र प्रश्न, जो निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या निष्पादन के तहत डिक्री परिसीमा द्वारा वर्जित है। पहली अदालत ने माना कि डिक्री पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा है, और डिक्री धारक ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, इस अदालत में अपील की है।

तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। 21 अगस्त, 1940 को, एक बंधक को लागू करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा शुरू किए गए एक मुकदमे में एक प्रारंभिक बंधक डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित की गई थी। 19 सितंबर, 1940 को, निर्णय-देनदार ने एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 13 के तहत एक आवेदन किया, लेकिन यह आवेदन 7 जून, 1941 को खारिज कर दिया गया। 11 जुलाई 1941 को निर्णय-देनदार ने प्रारंभिक डिक्री को फिर से खोलने के लिए बंगाल धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत एक आवेदन दायर किया, लेकिन 20 दिसंबर 1941 को उपस्थित न होने के कारण इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, 22 दिसंबर को अपीलकर्ता के पक्ष में एक अंतिम बंधक डिक्री पारित की गई। निर्णय-देनदार ने धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही की बहाली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 9 के तहत एक आवेदन किया। हालाँकि आवेदन को 1 जून 1942 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक की गैर-उपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था और कार्यवाही में कदम उठाने में उसकी विफलता दिखाई गई और इस आधार पर कि अंतिम डिक्री पारित होने के बाद प्रारंभिक डिक्री को फिर से खोलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद फैसले-देनदार ने आदेश IX, नियम 9 के तहत उसके आवेदन को खारिज करने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन 3 जुलाई 1944 को गैर-अभियोजन के कारण अपील खारिज कर दी गई। 9 अप्रैल, 1945 को, अपीलकर्ता ने मूल निर्णय-देनदार के खिलाफ डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक आवेदन दायर किया, हालांकि उसकी पहले ही मृत्यु हो गई थी, और यह आवेदन 11 मई 1945 को डिफ़ॉल्ट के रूप में खारिज कर दिया गया था। 2 जून, 1945 को, निष्पादन के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया था, और प्रश्न, जिसे हमें तय करना है, वह यह है कि क्या यह आवेदन समय पर है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निष्पादन के लिए आवेदन अंतिम डिक्री की तारीख के तीन साल से अधिक समय बाद किया गया है। इसे तब तक कालबाधित माना जाना चाहिए जब तक कि जैसा कि हमारे सामने तर्क दिया गया है कि मामला भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 182 के खंड 2 या खंड 3 के अंतर्गत नहीं आता है। इन धाराओं के तहत, आवेदन करने का समय कब से शुरू होता है--

"2. (जहां कोई अपील हुई है) अपीलीय न्यायालय के अंतिम डिक्री या आदेश की तारीख, या अपील की वापसी, या

3. (जहाँ निर्णय की समीक्षा हुई हो) समीक्षा पर पारित निर्णय की तिथि..."

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यह तर्क दिया गया है कि मामला खंड 3 के अंतर्गत आता है और इस विवाद के समर्थन में आग्रह किया गया आधार यह है कि धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रारंभिक बंधक डिक्री को फिर से खोलने के लिए निर्णय-देनदार द्वारा किया गया आवेदन समीक्षा के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए और उस आवेदन से जुड़ी कार्यवाही में पारित अंतिम आदेश की तारीख से चलने का समय रखा जाना चाहिए। हमारी राय में इस विवाद में कोई दम नहीं है। अनुच्छेद 182 के खंड 3 में महत्वपूर्ण शब्द हैं: (1)" जहां समीक्षा हुई है" और (2) "समीक्षा पर निर्णय पारित किया गया"। इन शब्दों से पता चलता है कि किसी मामले को अनुच्छेद 182, खंड 3 के तहत लाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि अदालत ने संबंधित डिक्री या आदेश की समीक्षा करने का वचन दिया है और दूसरी बात, समीक्षा पर निर्णय लिया गया है। वर्तमान मामले में भले ही यह मान लिया जाए कि "समीक्षा" शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 182 में बड़े अर्थ में किया गया है और बंगाल धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत डिक्री को फिर से खोलने के लिए आवेदन समीक्षा के लिए एक आवेदन था, अपीलकर्ता सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत ने कभी भी विचाराधीन डिक्री की समीक्षा करने का उपक्रम नहीं किया या ऐसा करने का इरादा नहीं था। असल में हुआ यह था कि प्रारंभिक डिक्री (अंतिम डिक्री नहीं, जिसे निष्पादित करने की मांग की गई डिक्री है) को फिर से खोलने के लिए धारा 36 के तहत आवेदन डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही की बहाली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत आवेदन भी खारिज कर दिया गया था। भले ही इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाए कि धारा 36 के तहत देनदार का आवेदन प्रारंभिक बंधक डिक्री के खिलाफ निर्देशित किया गया था, लेकिन आवेदन को डिफ़ॉल्ट के रूप में खारिज कर दिया गया है। अदालत को कभी भी इस सवाल पर अपना दिमाग लगाने का अवसर नहीं मिला कि क्या डिक्री को फिर से खोला जा सकता है या नहीं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि डिक्री की "समीक्षा हुई है"। सीपीसी के आदेश II नियम 9 के तहत कार्यवाही वर्तमान चर्चा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि उनमें निष्पादन के तहत डिक्री की समीक्षा शामिल नहीं थी, लेकिन यदि फैसले को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा (जो हमारी राय में यह नहीं है) को कॉल करना संभव है, तो समीक्षा - डिफ़ॉल्ट के लिए धारा 36 के तहत देनदार के आवेदन को खारिज करना।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि मामले को इस आधार पर अनुच्छेद 182 के खंड 2 द्वारा कवर किया जा सकता है, भले ही अंतिम बंधक डिक्री से कोई अपील नहीं की गई थी, शब्द "जहां अपील की गई है" इस मामले में धन शोधन अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले आदेश की अपील को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं। यह तर्क भी बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभिव्यक्ति "जहां अपील की गई है" को अनुच्छेद 182 के कॉलम 1 में शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात, "किसी भी सिविल न्यायालय के डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए। .....", और, चाहे हम इसका कितना भी व्यापक अर्थ लगा लें, इसे किसी ऐसे आदेश की अपील को कवर करने के लिए नहीं माना जा सकता है जो एक संपार्श्विक

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कार्यवाही में पारित किया गया है या जिसका निष्पादन के तहत डिक्री के साथ कोई प्रत्यक्ष या तत्काल संबंध नहीं है।

हमारे विचार में, इस अपील में कोई दम नहीं है, और तदनुसार हम इसे लागत सहित खारिज करते हैं।

अपील खारिज।

अपीलकर्ता के लिए एजेंट: पी.के. चटर्जी।

प्रतिवादी के लिए एजेंट: आर.आर. बिस्वास।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"